न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल भोपाल

खण्ड पीठ रीवा म0प्र0

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

Rs.30/-

R-2039-III/17

शिव प्रसाद पाण्डेय तनय बालमीक ब्रा0 सा0 सेमरिया तह0 रामनगर जिला सतना म0प्र0 ....निगराकार/अनावेदक

बनाम

1. श्रीमति गिल्ली पत्नी कुइसा कोल सा0 सेमरिया तह0रामनगर जिला सतना म0प्र0
2. म0प्र0 शासन द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़वार तह0 रामनगर जिला सतना म0प्र0। ....गैरनिगराकार/आवेदकगण

अधिवक्ता आर.बी. तिवारी द्वारा प्रस्तुत 30-01-17

निगरानी विरूद्ध रा0प्र0क्र0 2ए12–16–17 आदेश दिनांक 01.12.16 राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़वार तह0 रामनगर।

अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू–रा0सं0 1959 ।

मान्यवर,

निगराकार द्वारा निम्न निगरानी प्रस्तुत कर विनय है कि:

निगरानी का सारांश निम्नानुसार है:–

यह कि निगराकार शिव प्रसाद पाण्डेय तनय बालमीक ब्रा0 सा0 सेमरिया तह0 रामनगर का होकर आ0नं0 674/2 रकवा 0.25 डि0, 675/2 रकवा 1.21 एकड़ मौजा सेमरिया का भूमिस्वामी होकर मकान बनाकर परिवार सहित आवाद चला आ रहा है जबकि गैर निगराकार क्र0 1 गिल्ली पत्नी कुइसा कोल द्वारा तहसीलदार विकाश सिंह जी द्वारा शासकीय भूमि का पट्टा होने का आधार बताकर भूमिस्वामी की हैसियत से आ0नं0 674/1 ख/1 रकवा 1. 012हे0 के सहभूमिस्वामी गिल्ली पत्नी कुइसा कोल , कुइसा पिता वादी , विमला पत्नी जमुना कोल , इन्द्रपाल पिता रामकुमार गौड़, जनिया बाई पत्नी इन्द्रपाल दर्ज राजस्व रिकार्ड अनुसार सीमांकन हेतु दिनांक 10.10.2016 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें राजस्व निरीक्षक वृत्त बड़वार द्वारा सीमांकन सूचना प्रदर्श पी 3 के

ह: शिवप्रसाद पाण्डेय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0– **R.5039-II/2017** जिला–**सतना**

शिवप्रसाद पाण्डेय/ श्रीमती गिल्ली कोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0बी0 तिवारी उपस्थित । 3. आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत निगरानी न्यायालय राजस्व निरीक्षक, वृत्त बड़वार, तह0 रामनगर, जिला-सतना के प्रकरण क्रमांक 2/ए-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 01-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी, तहसील रामनगर, जिला सतना को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 25-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 14/2/19 सदस्य	